21/6/17 प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थना पत्र 7.7 के साथ पेश मूल वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया गया। इस लिए प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य हो गया है अतः कार्यवाही प्रार्थना पत्र ड्रोप की जाती है तथा आदेश दिनांक 5/6/2017 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.23 17:08:31 IST
Reason: SelfAttested